न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सिंचाई पैटीशन प्रकरण संख्या 01/2024 (RCMS : 2024/58)

श्याम सुन्दर पुत्र जय कुमार निवासी 39 एल एन पी बींझवायला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, मोबाईल नम्बर 89497–22962

बनाम

1. **इन्द्रसेन** पुत्र गोविन्दराम जाति जाट साकिन 38 एलएनपी पटवार हल्का घमूडवाली तहसील पदमपुर
2. **अनुज जाखड़** पुत्र इन्द्रसेन जाति जाट साकिन साकिन 38 एलएनपी पटवार हल्का घमूडवाली तहसील पदमपुर
3. **बलराम** पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन 82 आर बी तहसील पदमपुर
4. **हरीराम** पुत्र भादर राम जाति जाट साकिन 82 आर बी तहसील पदमपुर
5. **श्योपतराम** पुत्र गोविन्दराम जाति जाट साकिन 38 एलएनपी पटवार हल्का घमूडवाली तहसील पदमपुर
6. **रोहित जाखड़** पुत्र राय साहब जाति जाट साकिन 38 एलएनपी पटवार हल्का घमूडवाली तहसील पदमपुर
7. **धर्मपाल** पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन 38 एलएनपी पटवार हल्का घमूडवाली तहसील पदमपुर **एवं अन्य**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.07.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जगमोहन आहुजा एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह प्रकरण अधिशाषी अभियंता, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर द्वारा यह प्रकरण धारा 28 सिंचाई अधिनियम के तहत भूमि का मुआवजा तय करने हेतु यह प्रकरण भेजा गया है। इस प्रकरण में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान प्रकरण में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, नॉट प्रेस करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी श्याम सुन्दर ने अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.02.2024 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन व. श्रीगंगानगर के न्यायालय में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पेश किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा एक ही आदेश के विरूद्ध दो प्रकरण प्रस्तुत किये है, इसलिए प्रार्थी का प्रकरण इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी उक्त प्रकरण को नॉट प्रैस करता है तो उसे कोई आपत्ति नही है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह प्रकरण अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.02.2024 के विरूद्ध पेश किया था। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को आगे नहीं चलाने की प्रार्थना की है, जो शामिल पत्रावली है। **इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्याम सुन्दर द्वारा **प्रस्तुत पैटीशन अन्तर्गत धारा 24 राजस्थान जल सिंचाई एवं निकास अधिनियम 1954 खारिज की जाती है।** अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर को आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली तरतीब तक़मील होकर दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:53 IST
Reason: SelfAttested